पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2023 ई0 (अग्रहायण 25, 1945 शक सम्वत्) [संख्या–50

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	897–901	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	511–522	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	659–667	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

05 दिसम्बर, 2023 ई0

संख्या 1849 / XXXI(1) / 2023 / पदो0–01 / 2021–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत सुश्री अर्चना कठैत को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान-₹ 56100–177,500 (लेवल–10) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री अर्चना कठैत, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री अर्चना कठैत, अनुभाग अधिकारी को समाज कल्याण अनुभाग–02 में तैनात किया जाता है।

5–सुश्री अर्चना कठैत, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव।

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

06 दिसम्बर, 2023 ई0

संख्या 41 / नो0एम0 / XXXVI-A-1/2023-21 नो0एम0 / 2023–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री कीमती राणा, अधिवक्ता को दिनांक 06–12–2023 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला ऊधमसिंह नगर की तहसील रूद्रपुर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री कीमती राणा का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No.41/No-M/XXXVI-A-1/ 2023-21 No-M/2023 Dated- December 06, 2023.

NOTIFICATION

Appointment

December 06, 2023

No.41/No-M/XXXVI-A-1/2023-21 No-M/2023--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Kimti Rana, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 06-12-2023 for Tehsil Rudrapur, District Udhamsingh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Kimti Rana, be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

06 दिसम्बर, 2023 ई0

संख्या 42/नो0एम0/XXXVI-A-1/2023-21 नो0एम0/2023—श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या—53, सन् 1952) की धारा—3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री नरेश रस्तोगी, अधिवक्ता को दिनांक 06—12—2023 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला ऊधमसिंह नगर की तहसील रूद्रपुर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम—8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री नरेश रस्तोगी का नाम उक्त अधिनियम की धारा—4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No.42/No-M/XXXVI-A-1/ 2023-21 No-M/2023 Dated- December 06, 2023.

NOTIFICATION

Appointment

December 06, 2023

No.42/No-M/XXXVI-A-1/2023-21 No-M/2023--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Naresh Rastogi, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 06-12-2023 for Tehsil Rudrapur, District Udham Singh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Naresh Rastogi be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

06 दिसम्बर, 2023 ई0

संख्या 43/नो0एम0/XXXVI-A-1/2023-21 नो0एम0/2023—श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या—53, सन् 1952) की धारा—3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीमती उमा गक्खर, अधिवक्ता को दिनांक 06—12—2023 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला ऊधमसिंह नगर की तहसील रूद्रपुर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम—8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्रीमती उमा गक्खर का नाम उक्त अधिनियम की धारा—4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

नरेन्द्र दत्त,
प्रमुख सचिव,न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No.43/No-M/XXXVI-A-1/2023-21 No.-M/2023 Dated- December 06, 2023.

NOTIFICATION

Appointment

December 06, 2023

No.43/No-M/XXXVI-A-1/2023-21 No-M/2023--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mrs. Uma Gakhar, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 06-12-2023 for Tehsil Rudrapur, District Udham Singh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mrs. Uma Gakhar be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

NARENDRA DUTT,
Principal Secretary, Law-cum-L.R.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

कार्यालय—ज्ञाप

04 दिसम्बर, 2023 ई0

संख्या 1561/VII—2—23/81—उद्योग/2004—उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड के अंतर्गत अपर सांख्यकीय अधिकारी वेतनमान₹ 44,900—1,42,400 लेवल—7 के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993, जो उत्तराखण्ड राज्य में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 एवं उत्तराखण्ड उद्योग विभाग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 के साथ यथा प्रवृत्त है, के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार चयन वर्ष 2022—23 में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष सहायक निदेशक/प्रबंधक के पद पर वेतनमान ₹ 56,100—1,77,500 लेवल—10 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

क्र0सं0	अधिकारी का नाम
1	2
1.	श्री सुनील कुमार निगम
2.	श्रीमती तृप्ति गुप्ता
3.	श्री राजेन्द्र प्रकाश आर्य

2. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून के कार्यालय में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

विनय शंकर पाण्डेय,
सचिव।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

विज्ञप्ति

13 दिसम्बर, 2023 ई0

संख्या 74666/XXX-2/2023–E 64958–सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल मिनिस्टीरियल संवर्ग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद को एतद्द्वारा राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 हिन्दी गजट/496–भाग 1–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2023 ई0 (अग्रहायण 25, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over)
For L.T.C. and E.L

November 24, 2023

No. 6389/XIV-71/Admin.A/2003-- CERTIFIED that the charge of the office of Registrar (Inspection), High Court of Uttarakhand, Nainital was handed over by the undersigned in the afternoon of 21.10.2023 for availing L.T.C. and Earned Leave of 06 days w.e.f. 30.10.2023 to 04.11.2023 with permission to Prefix 22.10.2023 (Sunday) and 23.10.2023 to 27.10.2023 (Dussehra Holidays), 28.10.2023 and 29.10.2023 as Saturday and Sunday and suffix 05.11.2023 (Sunday) sanctioned vide letter No.5315/ UHC/XIV-71/Admin.A/2003 dated 21.09.2023.

NEENA AGGARWAL,
Registrar (Inspection)
U.H.C. Nainital.

Countersigned

illegible,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand, Nainital.

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

30 नवम्बर, 2023 ई0

संख्या 01/प्रशा0/6(4)/उविनिआ/2023–24/900–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एतद्द्वारा विद्युत सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः–

	1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन अध्यक्ष
	2. सदस्य (विधि), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
	3. सदस्य (तकनीकी), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
	4. प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
	5. प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
वाणिज्य एवं उद्योग	6. अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
	7. अध्यक्ष, सी0आई0आई0, नेपाल हाऊस, राजपुर रोड, देहरादून	सदस्य
	8. अध्यक्ष, कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज चैम्बर हाउस, इण्ड0 एरिया, बाजपुर रोड़, काशीपुर	सदस्य
	9. प्रेसीडेन्ट, मसूरी होटल एसोसियेशन, मसूरी, देहरादून।	सदस्य
कृषि	10. संयुक्त निदेशक (नियोजन), कृषि निदेशालय, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।	सदस्य
श्रम	11. उप श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, 298, हिमगिरी विहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।	सदस्य
परिवहन	12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन, निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून।	सदस्य
शैक्षणिक एवं अनुसंधान	13. विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियन्त्रण विभाग, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर।	सदस्य
	14. प्रोफेसर एवं हेण्ड, डिपार्टमेन्ट ऑफ इकोनोमिक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।	सदस्य
उपभोक्ता प्रतिनिधि	15. श्री अतुल कुमार अग्रवाल, पूर्व निदेशक (परिचालन), यूपीसीएल, निवास- 122, दून पाम सिटी, पथरीबाग, देहरादून।	सदस्य
	16. श्री राजीव कुमार अग्रवाल, 32, इन्दर रोड़, डालनवाला, देहरादून।	सदस्य
गैर सरकारी संगठन	17. श्री प्रकाश रावत, जय नन्दा वैलफेयर सोसाईटी (NGO) फ्लेट न0-06, लेन नं0-9, देवऋषि एनक्लेव, देहराखास, देहरादून।	सदस्य

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 88 के प्राविधानान्तर्गत सलाहकार समिति का दायित्व आयोग को निम्न बिन्दुओ पर सलाह देना हैः-

(i) major questions of policy;

(ii) matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;

(iii) compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence;

(iv) protection of consumers interest; and

(v) electricity supply and overall standards of performance of utilities.

विद्युत सलाहकार समिति का कार्यकाल इस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से एक वर्ष होगा, जब तक कि किसी सदस्य की नियुक्ति विनियम में विहित रीति से इससे पूर्व समाप्त न कर दी जाय।

आयोग की आज्ञा से,
नीरज सती,
सचिव।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2023 ई0

उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन) विनियम, 2023

सं. एफ-9(35)/आरजी/यूईआरसी/2023/779 – विद्युत् अधिनियम 2023 (2023 का 36) की धारा 39,40,42 और 86 के साथ पठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समस्त सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन:

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन) विनियम, 2023 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

(यह विनियम सरकारी गजट दिनांक 04 नवम्बर 2023 में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी तरह के निर्वचन अथवा विवाद (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा)

2. परिभाषाएं और निर्वचन:

1. इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" से विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "बैंकिंग" से ग्रिड मे अन्तःक्षेपित अधिशेष हरित ऊर्जा अभिप्रेत है और हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऊर्जा में जमा की जाती है और इससे अतिरिक्त लागतों, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति के लिए प्रभारों के साथ लिया जाएगा;

(ग) "बिलिंग चक्र" का तात्पर्य आयोग द्वारा अनुमोदित अवधि, जिसके लिए नियमित रूप से विद्युत बिलों को विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किया जाना है, से है;

(घ) "केन्द्रीय नोडल अभिकरण" से नियमों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नोडल अभिकरण अभिप्रेत है;

(ङ) "सीईआरसी" से केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(च) "आयोग" से उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(छ) "डे अहेड बाजार" (डीएएम) से वह बाज़ार अभिप्रेत है जहाँ पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) पर डे अहेड संविदायें संव्यवहारित होती हैं;

(ज) "डीएसएम विनियमों" से उविनिआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सम्बंधित मामले) विनियम, 2017 और उसके पश्चात् हुए कोई संशोधन अभिप्रेत हैं;

(झ) "विनियामकों का मंच" (एफओआर) से अधिनियम की धारा 166 की उप-धारा (2) में संदर्भित मंच अभिप्रेत है;

(ञ) ''जीवाश्म ईंधन'' से कोयला, लिगनाईट गैस, तरल ईंधन या इनके संयोजनो ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में सम्मिलित हैं, जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए ताप विद्युत स्टेशन में किया जाता है;

(ट) "जीओएआर पोर्टल" से हरित उन्मुक्त अभिगमन रजिस्ट्री पोर्टल अभिप्रेत है जो कि हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन हेतु रजिस्टर और आवेदन करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल है;

(ठ) ''हरित ऊर्जा'' से ऊर्जा जिसमें हाइड्रो ओर भंडारण (यदि भंडारण नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करता है) या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित किसी अन्य प्रौद्योगिकी सहित, भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हरित हाइड्रोजन या हरति अमोनिया के उत्पादन सहित जीवाश्म ईंधनों को प्रतिस्थापित करने के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग करने वाला कोई तंत्र भी सम्मिलित होगा;

(ड) ''हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता (संक्षेप में उपभोक्ता)'' से ऐसा उपभोक्ता, व्यापारी, वितरण अनुज्ञापी या एक उत्पादन कंपनी अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अधीन हरति ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन प्रदान की गई है;

(ढ) "आईईजीसी" से केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत् ग्रिड कोड) विनियम, 2023 और इसके संशोधन अभिप्रेत हैं;

(ण) "नॉन पीक आवर्स" से समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित पीक आवर्स से अन्य घंटे अभिप्रेत हैं;

(त) "नियमों" से विद्युत् (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) नियम, 2022 और इसके पश्चातवर्ती संशोधन अभिप्रेत हैं;

(थ) "स्टैंडबाई प्रभार" से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई आपातोपयोगी व्यवस्था की तुलना में उन्मुक्त हरित अभिगमन उपभोक्ताओं पर लागू प्रभार अभिप्रेत हैं, यदि उन्मुक्त हरित अभिगमन उपभोक्ता उत्पादन स्रोतों से विद्युत उत्पात करने में असमर्थ हैं, जिन स्रोतों के साथ उत्पादक, पारेषण परिसंपत्तियों और इसी तरह की अन्य कटौतियों के कारण विद्युत उत्पात करने के लिए उनके अनुबन्ध हैं;

(द) "राज्य ग्रिड कोड" से उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 और इसके पश्चातवर्ती संशोधन अभिप्रेत हैं.

(ध) "आपूर्ति संहिता" से उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् आपूर्ति संहिता, नए संयोजनों को जारी करना तथा सम्बंधित मामले) विनियम, 2020 और पश्चातवर्ती कोई संशोधन अभिप्रेत हैं;

(न) "समय खण्ड" से प्रत्येक 15 मिनट का ऐसा खण्ड अभिप्रेत है जिसके लिऐ 00.00 बजे से प्रथम समय खण्ड आरम्भ हो कर विशिष्ट विद्युत मानदंडों के मूल्यों को विशेष ऊर्जा मीटर्स द्वारा रिकार्ड किया जाता है;

वे शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहां उपयोग में लाये गये हैं और परिभाषित नहीं किये गये हैं किंतु अधिनियम में अथवा आयोग द्वारा जारी अन्य विनियमों में परिभाषित किये गये हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम अथवा आयोग द्वारा जारी ऐसे विनियमों में उन के लिये नियत किया गया है।

3. परिधि:

ये विनियम हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता को राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली (आईएएसटीएस) या वितरण प्रणाली या दोनों पर संयोजन तथा उन्मुक्त अभिगमन उपयोग के लिए अनुमति देने के लिए लागू होंगे, जिसमें प्रणाली का ऐसे समय पर उपयोग भी सम्मिलित है जब इसे अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के साथ संयोजित कर उपयोग किया जाये।

परन्तु एक उत्पादन केंद, एक कैप्टिव संयंत्र या एक उपभोक्ता दीर्घावधि, मध्यावधि या लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन करने के लिए योग्य नहीं होगा जब तक

कि उसके पास कनेक्टिविटी न हो या वह यथास्थिति, राज्यान्तर्गत पारेषण अथवा वितरण प्रणाली के पास कनेक्टिविटी हेतु आवेदन न करे।

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति कनेक्टिविटी के साथ-साथ दीर्घावधि या मध्यम अवधि या लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन के लिए एक साथ आवेदन कर सकेगा।

परन्तु यह भी कि हरित ऊर्जा उत्पादन, क्रय और उपभोग के सम्बन्ध में कनेक्टिविटी और उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने की अन्य शर्तें, जिनके लिए इन विनियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं बनाये गए हैं, उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015, उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन केन्द्रों से विद्युत् की आपूर्ति के लिए टैरिफ व अन्य शर्तें) विनियम, 2018 और उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सम्बंधित मामले) विनियम, 2017 तथा इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के उपबंधों के अनुसार होंगी।

4. हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन के लिए योग्यता मानदंडः

उपभोक्ता जिनकी अनुबंधित मांग या स्वीकृत भार किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एक ही विद्युतखंड में स्थित एकल संयोजन के माध्यम से सौ किलोवाट या उससे अधिक है या एक उपभोक्ता के नाम पर बहुविधकनेक्शनों के माध्यम से सौ किलोवाट या उससे अधिक है, वे हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से विद्युत लेने के पात्र होंगे तथा हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन के अधीन विद्युत लेने/देने वाले कैप्टिव उपभोक्ताओं, नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादकों इत्यादि के लिए विद्युत आपूर्ति की कोई सीमा नहीं होगी;

परन्तु उपभोक्ता एक दिन में न्यूनतम 12 समय खण्डों के लिए अनुमोदित क्षमता/अनुसूची अनिवार्य रूप से रखेगा।

परन्तु आगे यह भी कि अनुमोदित क्षमता/अनुसूची से कोई विचलन उविनिआ डी॰एस॰एम॰ विनियमों के अनुसार प्रभारों के अधीन होगा।

5. नोडल अभिकरणः

राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) उत्तराखंड द्वारा लघु-अवधि (एक माह तक) हेतु हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिए नोडल अभिकरण होगा और राज्य पारेषण यूटिलिटी, मध्यम अवधि (तीन माह से अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम अवधि) और दीर्घावधि (12 वर्ष से अधिक किन्तु 25 से कम अवधि) हेतु हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिए नोडल अभिकरण होगी।

6. हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिए प्रक्रियाः

(1) हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन के लिए संयोजिता प्रदान करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया, जिसमें आवेदन प्रारूप और लागू बैंक गारंटी/शुल्क/प्रभार इत्यादि सम्मिलित हैं, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से 30 दिन के भीतर नोडल अभिकरण द्वारा तैयार की जाएगी और उसे अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन के पंजीकरण हेतु सभी प्रकार से पूर्ण सभी आवेदन केन्द्रीय नोडल अभिकरण द्वारा स्थापित पोर्टल पर जमा किये जायेंगे और ये आवेदन आगे एसएलडीसी को भेजे जायेंगे।

(3) एसएलडीसी द्वारा जीओएआर पोर्टल पर पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करेगा और नए आवेदनों पर 5 कार्य दिवस के भीतर तथा पंजीकरण नवीनीकरण हेतु 2 कार्य दिवस के भीतर हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन के आवेदनों पर संस्तुति देगा।

परन्तु पंजीकरण हेतु आवेदन की प्राप्ति के पश्चात, एसएलडीसी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, प्रारंभिक समीक्षा करेगा। किसी विसंगति/कमी होने या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होने पर एसएलडीसी 2 कार्य दिवस के भीतर विसंगति में सुधार हेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदक को सूचना देगा. यदि आवेदक 2 कार्यदिवस के भीतर अपेक्षित विवरण के साथ एसएलडीसी को उत्तर नहीं देता है तो पंजीकरण के निवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त करने के लिए आवेदन जीओएआर पोर्टल के माध्यम से केवल पंजीकृत उपभोक्ताओं द्वारा ही किया जा सकता है।

(5) सम्बंधित नोडल अभिकरण, आवेदन की तिथि से 15 कार्यदिवस के भीतर रजिस्टर्ड ग्राहकों के हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त करने हेतु आवेदन को अनुमोदित करेगी, ऐसा न कर पाने पर आवेदन अनुमोदित कर लिया माना जायेगा।

परन्तु हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन के लिए ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही का आदेश प्रथम प्रवेश प्रथम निर्गम होगा।

(6) लघु-अवधि और मध्यम-अवधि उन्मुक्त अभिगमन तभी अनुमन्य होगी जब बिना किसी वृद्धि के पारेषण प्रणाली में पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो, जब कि दीर्घ-अवधि उन्मुक्त अभिगमन के लिए यदि आवश्यक हो तो पारेषण प्रणाली में वृद्धि की जाएगी।

परंतु यदि अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो तो, विद्यमान प्रणाली में दीर्घावधि को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके अतिरिक्त, गैर- जीवाश्म ईंधन स्रोतों के लिए उन्मुक्त अभिगमन को जीवाश्म ईंधन से उन्मुक्त अभिगमन पर प्राथमिकता दी जाएगी।

(7) उन्मुक्त अभिगमन के लिए किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को मामले में नोडल अभिकरण द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और उन्मुक्त अभिगमन से इनकार करने वाले सभी आदेश सकारण आदेश होंगे।

(8) नोडल अभिकरण के आदेश के विरुद्ध सभी अपील उपरोक्त उप-नियम (7) के अधीन आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, आयोग के समक्ष की जाएगी।

(9) आयोग तीन महीने की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा और उसके द्वारा जारी आदेश, पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

7. मीटरिंग:

हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता उन सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे जो समय-समय पर संशोधित सीईए (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 द्वारा निर्धारित किये गए हैं और राज्य ग्रिड कोड के अधीन विनिर्दिष्ट राज्य मीटरिंग कम्युनिकेशन एवं डाटा रिक्वायरमेंट्स (एमसीडीएआर) में भी सम्मिलित हैं।

8. हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन प्रभार:

(1) हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों पर लगाए जाने वाले प्रभार निम्नलिखित होंगे:

क) पारेषण प्रभार;

ख) व्हीलिंग प्रभार;

ग) क्रॉस सब्सिडी प्रभार;

घ) स्टैंडबाई प्रभार जहां भी लागू हो;

ङ) बैंकिंग प्रभार;

च) आवेदन शुल्क/एसएलडीसी शुल्क/प्रभार, अनुसूचीकरण प्रभार, विचलन व्यवस्थापन प्रभार और रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार।

पारेषण, व्हीलिंग और क्रॉस सब्सिडी अधिभार प्रभार के परिकलन की कार्यविधि समय-समय पर संशोधित उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन और शर्तें) अधिनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट होगी।

इसके अतिरिक्त अनुसूचीकरण और विचलन तंत्र समय-समय पर संशोधित राज्य ग्रिड कोड और डीएसएम विनियमों द्वारा संचालित होंगे।

परंतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करते हुए उत्पादन संयंत्र से, हरित ऊर्जा खरीदने वाले हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता के लिए क्रॉस सब्सिडी अधिभार (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करके) उत्पादन संयंत्र के प्रचालनीकरण की तारीख से बारह वर्षों के दौरान उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के वर्ष के लिए नियत अधिभार के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

परन्तु यह और कि ऐसे क्रॉस सब्सिडी प्रभार उस स्थिति में नहीं लगाये जायेंगे जब वितरण उन्मुक्त अभिगमन ऐसे व्यक्ति को प्रदान की जाये जो एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के रूप में स्थापित संयंत्र से हरित ऊर्जा अपने इस्तेमाल के लिए प्राप्त कर रहा होगा ।

परन्तु यह भी कि वितरण अनुज्ञापी के ऐसे अंत:स्थापित उपभोक्ता जो हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन का विकल्प चाहते हों उन पर कोई अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होंगे।

परंतु यह भी कि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता को अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति किए जाने की स्थिति में क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होंगे।

परंतु यह भी कि यदि हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हाइड्रोजन तथा हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है तो क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होंगे।

परंतु यह भी कि दिसम्बर, 2032 तक आरंभ की जा चुकी अपतटीय पवन परियोजनाओं से उत्पादित और उन्मुक्त अभिगमन उपभाक्ता को आपूर्ति की गई विद्युत के मामले में अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

परन्तु यह भी कि उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों का लगना अधिनियम के सुसंगत उपबंधों और समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी नीतियों द्वारा संचालित होंगे।

(2) "स्टैंडबाई प्रभार" समय-समय पर संशोधित उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन की शर्तें और निबंधन) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट होंगे और यदि हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक ने 'डी-1' दिन, जिस में 'डी' वितरण अनुज्ञापी को स्टैंडबाई व्यवस्था हेतु ऊर्जा की डिलीवरी का दिन है, पर अगले दिन का बाज़ार बंद होने के पूर्व कम से कम एक दिन पहले लिखित में नोटिस दिया है तो ऐसे प्रभार लागू नहीं होंगे।

(3) **रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार:** हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता रिएक्टिव ऊर्जा के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित राज्य ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार भुगतान करेगा।

(4) **प्रभारों का संग्रहण:** नोडल अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट भुगतान की शर्तों और निबंधनों के अनुसार हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता के सम्बन्ध में प्रभार सीधे नोडल अभिकरण और वितरण अनुज्ञापी को देय होंगे।

9. बैंकिंग सुविधा और प्रभार:

(1) हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। हरित ऊर्जा उत्पादन केंद्र से अधिशेष ऊर्जा सेटआफ के पश्चात् वितरण अनुज्ञापी के पास बैंक की जाएगी।

(2) बैंकिंग सुविधा, जिसमें अधिशेष ऊर्जा का अंत:क्षेपण और एकत्रित ऊर्जा की निकासी सम्मिलित है, अनुसूचीकरण के अधीन होगी।

(3) बैंकिंग प्रभार, बैंक की गई ऊर्जा के 8% की दर से समायोजित की जाएगी।

(4) हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं द्वारा एकत्रित ऊर्जा की अनुमन्य मात्रा उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत की कुल मासिक खपत की कम से कम तीस प्रतिशत होगी।

(5) ऊर्जा की बैंकिंग की अनुमति केवल बिलिंग चक्र हेतु होगी:

परंतु एकत्रित ऊर्जा को जमा करने के पश्चात् के बिलिंग चक्र में अग्रनीत किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और माह के दौरान एकत्रित ऊर्जा के जमा किए जाने को उसी बिलिंग चक्र के दौरान समायोजित किया जाएगा;

परन्तु यह और कि पीक-आवर्स (टीओडी स्लॉट्स) के दौरान एकत्रित ऊर्जा की निकासी पीक-आवर्स और साथ ही नॉन-पीक आवर्स (टीओडी स्लॉट्स) के दौरान ऊपर उप-विनियम (3) मे निर्दिष्ट प्रभारों के भुगतान के बाद अनुमान्य होगी।

परन्तु यह भी कि नॉन-पीक आवर्स (टीओडी स्लॉट्स) के दौरान एकत्रित ऊर्जा को नॉन-पीक आवर्स (टीओडी स्लॉट्स) के दौरान केवल बैंकिंग प्रभारों का भुगतान कर और पीक-अवर्स मे एकत्रित ऊर्जा की निकासी ऊपर उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट उपरोक्त बैंकिंग प्रभारों के अतिरिक्त पीक आवर्स ऊर्जा प्रभार दर और सामान्य घंटों की ऊर्जा प्रभार दर (जैसा कि आयोग द्वारा जारी सम्बंधित टैरिफ आदेशों में परिभाषित हैं) के अंतर के % के बराबर की दर का भुगतान करने के बाद अनुमान्य होगी।

(6) उपयोग में नहीं लाई गई अधिशेष एकत्रित ऊर्जा को प्रत्येक बिलिंग चक्र के अंत में कालातीत मान लिया जायेगा. लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन उस सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के हकदार होंगे।

(7) वितरण अनुज्ञापी इन विनियमों की अधिसूचना से 30 दिन के भीतर एक मॉडल बैंकिंग सहमतिपत्र के साथ बैंकिंग के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार करेगा। सभी बैंकिंग लेन-देनों के ऊर्जा लेखे वितरण अनुज्ञापी द्वारा रखे जायेंगे और साप्ताहिक आधार पर एसएलडीसी के पास जमा किये जायेंगे।

10. ऊर्जा हानियाँ:

आयोग द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट पारेषण और वितरण प्रणाली की ऊर्जा हानियाँ हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों पर लागू होंगी।

11. राज्य ग्रिड कोड/आपूर्ति कोड के साथ अनुपालन:

हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक राज्य ग्रिड कोड, आपूर्ति कोड और समय-समय पर लागू सभी अन्य संहिताओं, मानकों, डी.एस.एम. विनियमों का पालन करेंगे।

12. कटौती प्राथमिकतायें:

पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली में बाधाओं के कारण कटौती में प्राथमिकताएं निम्नानुसार होंगी:

(क) हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों से अन्य लघु-अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों की पहले और उसके पश्चात हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों की कटौती की जाएगी।

(ख) इसके पश्चात हरित उर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों से अन्य मध्यम-अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों की पहले और उसके पश्चात हरित उर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों की कटौती जाएगी।

(ग) इसके पश्चात हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों से अन्य दीर्घ-अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों की पहले और उसके पश्चात हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों की कटौती की जाएगी।

परन्तु एक श्रेणी के भीतर हरित ऊर्जा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता को समान कटौती प्राथमिकतायें दी जाएंगी और उनकी आनुपातिक आधार पर कटौती की जाएगी।

परन्तु यह और कि वितरण अनुज्ञापी की कटौती एक अंतिम उपाय के रूप में की जाएगी।

13. शिथिलीकरण की शक्ति:

आयोग एक सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, कारण अभिलिखित कर और संभवतया प्रभावित होने वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, स्वप्रेरणा से अथवा हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा इसके समक्ष आवेदन पर इन विनियमों के किन्ही उपबंधों को शिथिल कर सकता है।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2023 ई0 (अग्रहायण 25, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरी पुत्री NIHARIKA PANWAR के शैक्षिक प्रमाण पत्रों में त्रुटि से मेरा नाम RACHNA PANWAR दर्ज हो गया हैं जबकि मेरा वास्तविक नाम RACHANA DEVI है। भविष्य में मेरी पुत्री को NIHARIKA PANWAR पुत्री RACHANA DEVI W/O MANOJ PANWAR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

RACHANA DEVI W/O MANOJ
PANWAR निवासी 349/3बी/5 न्यू नं0 625
पश्चिमी अम्बर तालाब रूड़की।

सूचना

मैं सतेन्द्र सिंह आर्मी सर्विस सं0 4061886X रैंक Ex HAV ने निजी कारणों से अपना नाम सतेन्द्र सिंह (SATENDRA SINGH) से बदलकर सतेन्द्र सिंह नेगी (SATENDRA SINGH NEGI) कर लिया है। भविष्य में मुझे (SATENDRA SINGH NEGI) पुत्र भरत सिंह नेगी (BHARAT SINGH NEGI) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सतेन्द्र सिंह नेगी (SATENDRA SINGH NEGI)
पुत्र भरत सिंह नेगी (BHARAT SINGH NEGI)
निवासी 23 गली नं0–1, विष्णुपुरम मोथरोवाला
देहरादून।

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम BHAGWATI PRASAD से बदलकर BHAGWATI PRASAD JAKHMOLA कर लिया हैं भविष्य में मुझे BHAGWATI PRASAD JAKHMOLA S/O YOGESHWAR PRASAD के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

BHAGWATI PRASAD JAKHMOLA
S/O YOGESHWAR PRASAD निवासी
455/2/3, बी.एच.ई.एल. सेक्टर–3, टाईप–2
जिला हरिद्वार।

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम RAM SINGH से बदलकर RAM SINGH BHANDARI कर लिया हैं, भविष्य में मुझे RAM SINGH BHANDARI S/O NATHI SINGH BHANDARI के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

RAM SINGH BHANDARI
S/O NATHI SINGH BHANDARI
निवासी–हिमालयन पब्लिक विद्यालय के पास
कारगी बंजारावाला, देहरादून।

सूचना

मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 21034431 इण्टरमीडिएट 23330739 में मेरा नाम त्रुटिवश काजल गुप्ता दर्ज हो गया है जोकि गलत है जबकि मेरा वास्तविक नाम काजल शिवहरे है। भविष्य में मुझे काजल शिवहरे पुत्री संजय कुमार के नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

काजल शिवहरे पुत्री संजय कुमार
निवासी हाउस नं. 60, शांतिनगर ऋषिकेश,
देहरादून।

कार्यालय नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग (चमोली)

30 अगस्त, 2023 ई0

संख्या 812/न0पा0परि0/कर्णप्रयाग/गजट/2023–24–सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग की बोर्ड बैठक दिनांक 06–12–2021 के प्रस्ताव संख्या 03 एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 एवं 298 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये भवन कर की उपविधि का प्रकाशन आम जनमानस को सुझाव एवं आपत्ति हेतु प्रकाशन किया जाता है। इस सम्बन्ध में जिन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है, जो कि सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन (तीस दिन) के अंदर पालिका में लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। निर्धारित तिथि के बाद की आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नही किया जायेगा। यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्ति) की धारा 301 (1) के अन्तर्गत सरकारी गजट में प्रकाशित होने के उपरान्त लागू होगी।

भवन कर उपविधि 2023

1- संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ

(क) यह उपविधि नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग जनपद चमोली (उत्तराखण्ड) उपविधि 2023 कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग जनपद चमोली उत्तराखण्ड की सीमा में (नये क्षेत्रो के पालिका में सम्मिलित होने की तिथि से आगामी 10 वर्षों तक को छोडकर) प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग जिला चमोली द्वारा प्रवृत्त होगी

2- परिभाऐ:-

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में :-

(क) नगर पालिका का तात्पर्य नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग से है।

(ख) सीमा का तात्पर्य नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग की सीमा से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग जनपद चमोली से है।

(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पालिका कर्णप्रयाग के निर्वाचित अध्यक्ष / अथवा प्रशासक से है।

(ङ) बोर्ड का तात्पर्य नगर पालिका कर्णप्रयाग के अध्यक्ष / सदस्य अथवा प्रशासक से है।

(च) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रवेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में से है।

(छ) वार्षिक मूल्याकन का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 140 व धारा 141 के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य से है।

(ज) भवन कर का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 के अन्तर्गत भवनो या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य कर से है।

(झ) समिति का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 104 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

(ण) भवन का तात्पर्य नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत निर्मित भवन से है।

(फ) स्वामी का तात्पर्य भवन के स्वामी से है।

(ब) अध्यासी का तात्पर्य नगर पालिका कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत (नये सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर पालिका में सम्मिलत हुये आगामी 10 वर्षो तक) निर्मित भवन में निवास कर रहे व्यक्ति से है।

- वार्षिक मूल्यांकन नगर पालिका सीमान्तर्गत निर्मित भवन पर भवन निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 141 (1) के अन्तर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिये नगर पालिका द्वारा समय-समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को चाहे सदस्य हो या न हो अथवा संस्था / एजेन्सी ऐसे प्रयोजन के लिये किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते है। भवन कर निर्धारण है निम्नानुसार वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा।

(क)रेलवे स्टेशनों कालेजों होटलो कारखानों वाणिज्य भवनों और अन्य अनावासीय भवनों की दशा में भवन व निर्माण कि अनुमानित लागत लो०नि०वि० की प्रचलित सिडयूल रेट और उससे अनुलगन, भूमि की अनुमानित मूल्य तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को जोड़कर निकाली गयी धनराशि का पांच प्रतिशत (5%) से अनाधिक पर वार्षिक मूल्यांकन का आंकलन किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथा स्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आए 12 गुना मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिये प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैसे कि नगर पालिका कर्णप्रयाग की अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन की अवस्थिति भवन निर्माण की प्रकृति भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा नियम सर्किल दर के आधार पर नियत किया गया जाये और ऐसे भवन के लिये क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम दर और अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे निहित किया जाये ।

(ग) खण्ड (क) (ख) के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थिति ऐसे आवासीय एवं अनावासीय (दुकानार्थ) जो किराये पर उठाये गये हो उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा उस क्षेत्र की लिये कलैक्टर द्वारा तत्समय किराये हेतु प्रचलित सर्किल रेट से जो भी अधिकतम हो के अनुसार किराये के भवन के प्रतिवर्ग फुट या मीटर मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराये को 12 गुना पर वार्षिक मूल्यांकन पर निर्धारण हेतु किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग जनपद चमोली गढ़वाल की राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपर्युक्त निधि से गणना की गयी हो वहां नगर पालिका किसी भी कम धनराशि पर जो उसे समयापूर्ण प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

1- वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी।

i. कक्ष - आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप

ii. आच्छादित बरामदा - आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप

iii. बालकोनी गलियारा रसोई घर और भण्डार गृह प्रतिशत माप आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप

iv. गैराज आन्तरिक आयाम की चौथाई माप

v. गैराज आन्तरिक आयात की चौथाई माप

vi. स्नानागार शौचालय द्वारमण्डल और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल कारपेट क्षेत्रफल का अंग नही होगा।

2- उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने किराये तथा वेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन का मानक किराया या युक्तियुक्त वार्षिक किराये का भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

3- भवन कर निर्धारित हेतु वार्षिक मूल्याकन एवं सर्वेक्षण प्रपत्र में प्रत्येक भवन का मौके पर निरीक्षण करने के उपरान्त यथा स्थिति के अनुसार किया जायेगा।

4- **भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर कर :-** भवन के वार्षिक मूल्याकन पर 05% (पाँच प्रतिशत) भवन कर लिया जायेगा परन्तु निम्नलिखित भवन अथवा उसके अन्य भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगे।

(क) मन्दिर गुरुद्वारा मस्जिद अथवा दूसरे धार्मिक संस्थाए जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो परन्तु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराये पर या अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती है तो उनके अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती है तो उन पर कर की छूट का नियम लागू नहीं होगे।

(ख) सरकारी अनाथालय स्कूल छात्रावास चिकित्सालय धर्मशालाएँ तथा इस प्रकार से अन्य भवन जो इस प्रकार की दान की संस्थाओं की सम्पत्तियों और उन्ही संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हो ।

(ग) नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग जनपद चमोली की समस्त परिसम्पत्तियाँ

5- **कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन :-** भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर भवन कर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 141 के अधीन तैयार की गयी सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की जायेगी तथा समाचार पत्र

में इस आशय की सूचना प्रकाशित करते हुये अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय गृहकर का निर्धारण किया जा चुका है, जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्ययासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकते हैं तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना सम्बन्धित प्रत्येक भवन स्वामी को 30 दिन के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत करते हेतु दी जानी आवश्यक होगी और कर निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपत्तियों को मोहल्ले/वार्ड वार क्रम संख्या देते हुए आपत्ति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा।

6- आपत्तियों का निस्तारण भवन के वार्षिक मूल्यांकन अथवा कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु नगरपालिका 1915 की धारा 104 के अन्तर्गत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने के फलस्वरूप अधिशासी अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार से किया जायेगा।

(क) प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पंजिका में जस्टिफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी।

(ख) शासनादेश संख्या 2064 / नौ-9-97-79 ज / 97 दिनांक 28/06/1997 द्वारा वार्षिक मूल्याकन एवं कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण दिये गये निर्देशानुसार दी जायेगी।

7- कर निर्धारण सूचियों का अभी प्रमाणीकरण और अभिरक्षा-

(क) अधिशासी अधिकारी या इस निमित प्राधिकृत अधिकारी यथास्थिति नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत उसके किसी भाग के क्षेत्र वार किराया दरों और निर्धारण सूची को और हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करेगा।

(ख) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची को नगर पालिका कर्णप्रयाग कार्यालय में जमा किया जायेगा।

(ग) जैसे सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिये सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी।

(घ) **कर निर्धारण सूचियों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यावाही होने के उपरान्त भवन कर मांग एवं वसूली पंजिका में अन्तिम रुप से सूची दर्ज करते हुये नगर पालिका** अधिनियम 1916 की धारा 166 के अन्तर्गत दावों की वसूली हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार करनी होगी।

8- नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग जनपद चमोली क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति कार्यालय दिवस पर प्रातः 10:00 बजे से साथ 5:00 बजे तक अपने भवनों की एसेसमेन्ट सूची पर अपना नाम दर्ज कर सकता है जो और जिस समय तक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का काफी कारण न हो उसका नाम दर्ज कर लिया जायेगा तथा अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा

9- जब इस बात में शक हो कि भवन पर कि जिसका नाम स्वामी के रूप में दर्ज किया जाये तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी दिया हो यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिये। इसका निश्चय उस समय तक लागू रहेगा जब तक सशक्त न्यायालय उसको रद न कर दे।

10- (1) अगर किसी ऐसे भवन के स्वामी होने का अधिकार जिस पर यह लागू हो हस्तान्तरित किया जाये तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गयी हो तो दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तान्तरित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर हस्तान्तरित होने की सूचना अध्यक्ष अथवा अधिशासी अधिकारी को देना होगा।

(2) किसी ऐसे भवन का स्वामी जिस पर कर लागू है की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी या जो जायदाद का स्वामी हो इस प्रकार स्वामी होने के तीन माह के अन्दर निकाय कार्यालय में लिखित सूचना देगा जिसका कि आपत्ति हेतु दैनिक सामाचार पत्र में इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जायेगा। प्रकाशित सूचना का बिल भुगतान सम्बन्धित भवन स्वामी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

11- (1) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया है उक्त नियम में उल्लखितसभी विवरण सफाई से और ठीक तौर दिये जायेगा।

12- उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा 151(2) के अधीन कर की थोड़ी माफी या ऐसी माफी के लिये भवन का स्वामी जिसमें कई किरायेदार रहते हो भवन पर कर लागू करने के समय बोर्ड से प्रार्थना कर सकता है कि तमाम भवन का कर लगने के अलावा हर एक भाग जिसका वार्षिक मूल्य अलग एक नोट में दर्ज किया जाये और जब कोई भाग जिसका वार्षिक मूल्य अलग दर्ज हो गया है या किराये के नब्बे दिन या इससे अधिक समय के लिये किसी साल में खाली रहा हो तो कुल भवन के कर का वह हिस्सा माफ किया जाये जो कि एक्ट की धारा 151 (1) के अधीन वापस या माफ किया जाता है।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग एतदद्वारा निर्देश देती हैं कि उपरोक्त उपविधि उल्लंघन करने के लिये अर्थदण्ड रु 1000.00 (एक हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोषसिद्धी के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है जो रुपये 100.00 (एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है।

ह0/–
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद कर्णप्रयाग।

ह0/–
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद कर्णप्रयाग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 हिन्दी गजट/496–भाग 8–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।